भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3273
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

झारखंड में बेरोजगारी

3273. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप झारखंड में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) झारखंड सरकार द्वारा बेरोजगारी को कम करने के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या प्रस्तावित उपायों के परिमामस्वरूप बेरोजगारी में चिंताजनक वृद्धि में कमी आएगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जा रहे हैं।

वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में तथा झारखंड राज्य में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैं:

(प्रतिशत में)

वर्ष	2018-19		2019-20	
	डब्ल्यूपीआर	यूआर	डब्ल्यूपीआर	यूआर
अखिल भारत	47.3	5.8	50.9	4.8
झारखंड	44.9	5.2	53.6	4.2

डब्ल्यूपीआर-कामगार जनसंख्या अनुपात
यूआर-बेरोजगारी दर

(ग) एवं (घ) : झारखण्ड सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के समन्वय से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार कार्यालयों के डेटाबेस में उपलब्ध बेरोजगार युवकों की सूची राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराई गयी थी ताकि नियोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार युवाओं का चयन कर सकें।

भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहले भी की हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

पीएम स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए, सरकार देश में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

******